न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी– श्री श्योराम वर्मा आर. ए. एस.

न. मु. 18/19

जीवणराम पुत्र पुरखाराम जाति मेघवाल निवासी ढ़िगारीया तहसील बीदासर जिला चूरू

प्रार्थी

बनाम

सोहनराम पुत्र मूलाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम ढ़िगारीया तहसील बीदसर जिला चूरू राज.

अप्रार्थीगण

उपस्थित :– श्री मोहम्मद शाहिद वकील प्रार्थी

पैरोकार राज.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (अ) की उपधारा (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

प्रार्थी जीवणराम पुत्र पुरखाराम जाति मेघवाल निवासी ढ़िगारीया ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मै प्रार्थी आपके उपखण्ड में खेत खसरा नम्बर 125 तादादी 4.0595 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम ढ़िगारीया तहसील बीदासर जिला चूरू की खातेदारी भूमि का खातेदार कृषक हूँ जो कि नया मार्ग बनाने हमारी जोत में प्रवेश के प्रयोजनार्थ मै राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (अधिनियम की सख्या 3) की धारा 251 अ की उपधारा 1 व 2 के अधीन अनुमति के लिए आवेदन कर रहा हूँ। मेरे उक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 125 पुख्ता बारानी दोयम की भूमि में आवागमन के लिए नया रास्ता खेत खसरा नम्बर 512/123 तादादी 2.5293 हैक्टेयर की भूमि में से भूमि जो अप्रार्थी सख्या 1 के खातेदारी की जोत का खेत है में से नया मार्ग बनाने के लिए आवेदन कर रहा हूँ जो अप्रार्थी सख्या 1 का विवरण उपर वर्णित अप्रार्थी का पूर्ण दिया हुआ है। प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 125 वाके रोही ढ़िगारीया की भूमि में आवागमन के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता सिवाय खसरा नम्बर 512/123 के नहीं लगता है। मुझ खातेदार प्रार्थी के खातेदारी खेत में नया मार्ग की अति आवश्यकता है। वैकल्पिक रास्ते के अभाव में मै प्रार्थी नया रास्ता अप्रार्थी के खेत खसरा नमबर 512/123 से कायम कराने के लिए आवेदन करता हूँ प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थना पत्र को अच्छी तरीके से समझने के लिए नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। इसी के मुताबिक नया रास्ता खुलाया जावे। नया मार्ग बनाने की आवश्यकता रास्ता खुलवाया जावे नया मार्ग बनवाना चाहता हूँ आदि आदि का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

लगातार.....2 पर

...ना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सख्या 1 ...रीख पैशी दिनांक 14—6—2019 को स्वयं हाजिर आया। आईन्दा तारीख पैशीयों पर हाजिर नहीं आने, किसी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नहीं करने तथा तारीख पैशी दिनांक 24—7—2019 तक कोई जवाब देही प्रस्तुत नहीं होने, हाजिर नहीं होने के कारण अप्रार्थी का जवाब बन्द किया गया। तहसीलदार बीदासर से रिपोर्ट बाबत रास्ता प्राप्त हुई। बहस उभय पक्षकारान् के अधिवक्तागण की सुनी गई। रिपोर्ट तहसीलदार क्रमांक राजस्व/2019/490 दिनांक 19—7—2019 अनुसार मौके पर प्रार्थी द्वारा आवेदित व प्रस्तावित रास्ता नजरी नक्शे में बिन्दु ए से बिन्दु बी. द्वारा दर्शाया गया हे जिसकी लम्बाई 264 फुट व चौड़ाई 16.50 फुट कुल क्षेत्रफल 4356.00 वर्गफुट (तुल्य 404.64 वर्गमीटर) है जिसका वर्तमान मुल्य डी.एल.सी. दर अनुसार 5211.76 अर्थात राउण्डेड में 5225/— रूपये है जिसका दो गुना 10450/— रूपये बनता है।

तहसीलदार बीदासर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश पारित किया जाता है कि :—

(अ) तहसीलदार बीदासर द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे अनुसार प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 125 में प्रवेश (आवागमन) करने के लिए खेत खसरा नम्बर 512/123 दक्षिणी सींव के चिपता चिपता 16.50 फुट चौड़ा व 264 फुट लम्बार रास्ता कायम किया जाता है। इसी अनुसार नक्शे में अंकन किया जाये।

(ख) तहसीलदार बीदासर की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी सोहनराम के खेत खसरा नम्बर 512/123 में से रास्ता भूमि जिसका लम्बाई 264 फुट व चौड़ाई 16.50 फुट कुल क्षेत्रफल 4356.00 वर्गफुट = 404.64 वर्गमीटर (लगभग 3.20 बिश्वा) भूमि कम करते हूए रास्ते का पृथक बट्टा नम्बर नियमानुसार आंवटित किया जाये तथा किस्म गैर मुमकिन रास्ता अंकित करते हूए रास्ता का सिवाय चक खाता (रास्ते/पगड़डीया आदि) में दर्ज करायें।

(ग) प्रार्थी ने तहसीलदार बीदासर द्वारा डी.एल.सी. द्वारा तय की गई दर से दो गुनी राशी खातेदार अप्रार्थी सख्या 1 को भूगतान जरिये चैक रूपया 10450/— का पेश करते है तो रास्ते का राजस्व रेकार्ड में अंकन करें व भूगतान राशि अप्रार्थी स. 1 को चैक दिया जावे अन्यथा चैक राशी राजकोष में जमा की जाकर अप्रार्थी स 1 जब चाहे प्राप्त करें।

निर्णय आज दिनांक 16—8—2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

श्योराम वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी बीदासर चूरू
बीदासर